कृषि उपज विपणन समिति, मण्डी (स्थित कांगणी) जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः–

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन विधेयक, 2006 की धारा 48 (2) के दृष्टिगत, कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, स्थित कांगणी, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण इस विभाग द्वारा पूर्वाकेंक्षण के आधार पर किया गया है।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी कृषि उपज विपणन समिति में अध्यक्ष एवं सचिव के पद पर कार्यरत्त रहेः–

क्रमांक	नाम	पद	अवधि
1	श्री हरिन्द्र सेन	अध्यक्ष	1.4.15 से 31.3.16
2	श्री प्रकाश कश्यप	सचिव	1.4.15 से 31.3.16

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.15 से 31.3.16 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	मण्डी समिति की आय से सम्बन्धित राशि को बैंक में जमा न करना	4 (घ) (ii)	0.93
2	विभिन्न बैंक बचत खातों में आवश्यकता से अधिक राशि जमा रखना	5	161.89
3	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	8	116.22
4	विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु जारी की गई अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	9	3.90

5	दुकानों के लम्बित किराए के रूप में राशि वसूली हेतु शेष	10	13.10
6	दुकानदारों द्वारा किराया नियमित रूप से न देने के कारण ब्याज की हानि	11	0.47
7	सेवाकर की दुकानदारों से वसूली न करना	13	11.78
8	यूजर चार्जिज/मण्डी शुल्क की कम वसूली करना	14	0.16
9	वाहन संख्या एच0पी0–33–सी–882 में क्षमता से अधिक डीजल भरवाने के कारण हानि	18	0.26

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) ज़िला मण्डी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्मिलित पैरों का विवरण **परिशिष्ट (क)** पर दिया गया है जिसके अनुसार अवधि 31.3.2016 तक 103 पैरे अनिर्णीत पैरे शेष थे। अतः अनिर्णीत पैरों के समायोजन हेतु यथाशीध्र उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

(ङ) आय व व्यय के मुख्य साधनः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) जिला मण्डी के आय के मुख्य साधन/स्त्रोत व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में वसूलियां, दण्ड शुल्क, पंजीकरण शुल्क विभिन्न फर्मों की यार्डों में दुकानों का किराया तथा जमा राशियों पर अर्जित ब्याज इत्यादि शामिल है। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति द्वारा स्थापना, निर्माण कार्यों, गाड़ी के रख–रखाव, लेखन सामग्री के मुद्रण, मानदेय यात्रा भत्ता व कार्यालय व्यय इत्यादि मुख्य मदों पर व्यय किया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2015 से 31.3.16 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री मोहिन्द्र कुमार अनुभाग अधिकारी व श्री विजय कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वाकेंक्षण के आधार पर किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को समिति के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना एवं सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं, कि जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

कृषि उपज मण्डी समिति मण्डी (स्थित कांगणी) के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1077619 आंका गया है जिसे समिति द्वारा चैक संख्या 048748 व 106395 दिनांक 06.09.16 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज विपणन समिति, मण्डी (स्थित कांगणी) की वर्ष 2015–2016 की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

प्रारम्भिक शेष	**35460315.15**
वर्ष में प्राप्त आय	41958583.00
वर्ष में प्राप्त ब्याज	3941821.00
कुल योग	**81360719.15**
वर्ष में भुगतान की गई राशि	28423198.50
शुद्ध जमा राशि	**52937520.65**

(ख) बैंक बचत खातों के अनुसार 31.3.2016 को अन्तिम शेष की राशि का विवरण

क्रमांक	**बैंक का नाम**	**खाता सं0**	**राशि**
1	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, चैलचौक	1129	308082.00
2	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, बलदवाड़ा	4770	39046.00
3	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, सरकाघाट	6623	123425.00
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ततापानी	163571	182282.07
5	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, चौन्तड़ा	4123	92240.00
6	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, सुन्दरनगर	7290	77973.86
7	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, मण्डी	5182	1753793.47
8	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, धनोटू	104	1168364.00
9	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, अवाहदेवी	103	26791.00
10	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, टकोली	260	573015.15
11	एच0डी0एफ0सी0 बैंक मण्डी	38589	42754.50

12	आई0डी0बी0आई0 बैंक मण्डी	2443	8778374.60
13	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक मण्डी	644	3012236.00
14	इलाहाबाद बैंक मण्डी	6533	11184.00
15	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, धनोटू	(एफ0डी0आर0)	13814777.00
16	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, मण्डी	(एफ0डी0आर0)	10000000.00
17	एच0डी0एफ0सी0 मण्डी	(एफ0डी0आर0)	8389790.00
18	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तत्तापानी	(एफ0डी0आर0)	2298844.00
19	इलाहाबाद बैंक मण्डी	(एफ0डी0आर0)	3000000.00
		कुल योग	**53692972.65**

(ग) बैंक समाधान विवरणिकाः–

रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष	₹52937520.65
बचत खातों व सावधि जमा योजना में जमा राशि	₹53692972.65
अन्तर	**₹755452.00**

(घ) अन्तर के कारणः–

निम्नलिखित विवरणानुसार रोकड़ बही में आय की प्रविष्टियाँ दर्ज की गई थी परन्तु आय की यह राशि बैंक में जमा नहीं हुई।

क्र0सं0	बैंक का नाम	चैक सं0	दिनांक	राशि
1	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक धनोटू	–	–	100000
2	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक मण्डी	–	–	5506
3	–यथोपरि–	–	–	22617
4	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक चैलचौक	382748	31.12.12	92940
5	–यथोपरि–	607350	–	31650
			कुल योग	**(+) 252713**

विभिन्न फर्मों को चैक द्वारा किया गया भुगतान जो बैंक से भुनाया नहीं गया।

क्र0सं0	बैंक का नाम	चैक सं0	दिनांक	राशि
1	आई0डी0बी0आई0 बैंक मण्डी			500
2	आई0डी0बी0आई0 बैंक मण्डी	39391	–	20000
3	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक धनोटू	659879	–	41500
4	–यथोपरि–	659880	–	3000
5	–यथोपरि–	659881	–	2497
6	–यथोपरि–	659883	–	174595

7	–यथोपरि–	659884	–	2000
8	–यथोपरि–	659885	–	2800
9	–यथोपरि–	659886	–	2958
10	–यथोपरि–	659887	–	2500
11	–यथोपरि–	659889	–	2500
12	–यथोपरि–	659890	–	2000
13	–यथोपरि–	659891	–	32309
14	–यथोपरि–	659892	–	70462
15	–यथोपरि–	659894	–	2000
16	–यथोपरि–	659895	–	32706
				394327

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**चैक सं0**	**राशि**
		B/F 394327	
17	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक धनोटू	659896	399
18	–यथोपरि–	659897	3530
19	–यथोपरि–	659898	598
20	इलाहाबाद बैंक मण्डी	4747	2760
21	–यथोपरि–	4748	2940
22	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक मण्डी	–	60656
		कुल योग	**1011114**
		शुद्ध अन्तर	**₹758401**

(ग)–(घ) ₹755452–₹758401=₹2949

नोटः–(i) सचिव कृषि उपज मण्डी समिति मण्डी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति का मिलान करने पर पाया गया कि माह 9/2015 के दौरान व्यय विवरणी (Expenditure Statement) की मद 6 (J) Misc. expenditure ₹2950 को माह 10/2015 में जमा नहीं किया गया था। अतः 3/2016 की व्यय विवरणी को संशोधित कर तदानुसार चार्टड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित वित्तीय विवरणी को भी संशोधित किया जाए व ₹1 के अन्तर का मिलान किया जाए।

(ii) उक्त वर्णित समाधान विवरणिका अनुसार चैक संख्या 382748 दिनांक 31.12.2012 द्वारा बैंक में जमा दर्शाई गई ₹92940 की सम्बन्धित व्यापारी से वसूली हेतु समिति द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा उक्त राशि को वसूल करके रोकड़

बही का मिलान किया जाए। आय प्राप्ति का चैक बैंक द्वारा जमा न किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है जिस बारे पूर्ण जाँच की जाए।

(iii) उपरोक्त समाधान विवरणिका में (घ) में आय–व्यय के 31.3.16 को लम्बित चैकों की राशियों के चैक नं0 व तिथियाँ दर्शाई जाए ताकि बैंक पास बुक में राशि का मिलान किया जा सके।

(iv) कृषि उपज मण्डी समिति के निम्नलिखित बचत खातों से निम्नलिखित राशियों की निकासी/ट्रांसफर की गई थी जिनके बारे में उद्देश्य व किस बैंक खाते में ट्रांसफर की गई का ब्यौरा स्पष्ट किया जाए।

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**दिनांक**	**निकासी/ट्रांसफर की गई राशि (₹)**
1	इलाहाबाद बैंक मण्डी	25.3.16	3000000
2	को–ओपरेटिव बैंक चैलचोक	28.9.15	500000
3	–यथोपरि–	23.12.15	700000
4	–यथोपरि–	25.3.16	300000
5	स्टेट बैंक पटियाला तत्तापानी	23.12.15	800000
6	–यथोपरि–	25.3.16	300000
7	को–ओपरेटिव बैंक चौन्तडा	28.9.15	200000
8	–यथोपरि–	23.12.15	600000
9	–यथोपरि–	25.3.16	500000
10	को–ओपरेटिव बैंक धनोटू	28.9.15	300000
11	को–ओपरेटिव बैंक टकोली	23.12.15	400000
12	–यथोपरि–	25.3.16	700000
13	आई0डी0बी0आई0 मण्डी	13.4.15	70000
14	–यथोपरि–	13.8.15	4657
15	–यथोपरि–	12.11.15	20000
16	–यथोपरि–	12.11.15	421256
17	को–ओपरेटिव बैंक मण्डी	14.8.15	1000000

(ङ) निवेशः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) के लेखों के अनुसार अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 के दौरान निवेशित राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	एफ0डी0आर0सं0 / दि0 / बैंक का नाम	निवेश तिथि	निवेशित राशि	अवधि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि
1	650738 25.3.16 ईलाहाबाद बैंक	25.3.16	3000000	12 माह	7.50%	25.3.17	32314.08
2	1505576 23.3.16 हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक मण्डी	23.3.16	10000000	12 माह	7.50%	23.3.17	10771369
3	1599101 हि0प्र0को–ओपरेटिव बैंक धनोटू	19.3.16	6161474	45 दिन	6.50%	5.5.16	62130145
4	1598941 हि0प्र0को–ओपरेटिव बैंक धनोटू	23.1.16	2514092	444 दिन	7.80%	11.4.17	2761274
5	1599102 हि0प्र0को–ओपरेटिव बैंक धनोटू	21.3.16	5139211	46 दिन	6.50%	6.5.16	5181310
6	50300108114822 एच0डी0एफ0सी0 बैंक मण्डी	23.3.16	5000000	12 माह	7.90%	23.3.17	5405966
7	50300109887333 एच0डी0एफ0सी0 बैंक मण्डी	13.3.16	3389790	62 दिन	6.50%	16.5.16	3427115
8	65210053472 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, तत्तापानी	13.9.15	2298844	12 माह	8.37%	13.9.16	2497381
	कुल निवेशित राशि		**₹37503411**				

(च) अनुदानः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) की रोकड़ बही अनुसार समिति को वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए है उक्त अनुदान से सम्बन्धित अभिलेख व अनुदान का उद्देंश्य जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए तथा अनुदान को सम्बन्धित उद्देश्य हेतु व्यय करने उपरान्त सम्बन्धित संस्था को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

दिनांक	अनुदान देने वाली संस्था का नाम	राशि	उद्देश्य
6/2015	खण्ड विकास अधिकारी सुन्दरनगर	250000	शौचालय हेतु

(छ) तुलन पत्रः—

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी स्थित कांगणी का दिनांक 31.3.2016 तक तुलन पत्र जोकि चार्टड अकाऊंटैन्ट द्वारा तैयार किया गया है **परिशिष्ट "ख"** में संलग्न है तुलन पत्र में वर्णित आंकड़ों आय व व्यय की विभिन्न मदें मण्डी समिति के आय व व्यय के आंकड़ों से मेल नहीं खाते है। अतः चार्टड अकाउंटैन्ट द्वारा तैयार किए गए तुलन पत्र के आंकड़ों तथा मण्डी समिति के आय तथा व्यय के आंकड़ों के अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस का मिलान किया जाए।

5 विभिन्न बैंक बचत खातों में आवश्यकता से अधिक ₹161.89 लाख जमा रखने बारेः—

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंक बचत खातों में ₹16189561.65 जमा थी **(परिशिष्ट—ग)** जिसमें सावधि निवेश की तुलना में बहुत कम ब्याज प्राप्त हो रहा है। अतः नियमित भुगतानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त राशि में से समुचित भाग सावधि निवेश सुनिश्चित किया जाए ताकि मण्डी समिति को ब्याज के रूप में अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

6 गत वर्षों की तुलना में मण्डी समिति की आय में कमी पाया जानाः—

कृषि उपज मण्डी समिति की वर्ष 2015—2016 की आय विवरणी की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित शीर्षों में गत वर्षों की तुलना में आय में गिरावट आई है जबकि कृषि से सम्बन्धित वस्तुओं के मूल्य व लाईसैन्स धारियों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप इन शीर्षों में आय में वृद्धि दर्ज की जानी अपेक्षित थी। अतः इस मामले की संस्था स्त्तर पर जाँच करके मण्डी समिति की आय में वृद्धि हेतु उचित कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा इस प्रकार के प्रकरणों की माह वार समीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित/अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए तथा अनुपालना`स इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	चैक पोस्ट/यार्ड का नाम शीर्ष का नाम	गत तीन वर्षों के आय के आंकड़ें		
		2013-14	**2014-15**	**2015-16**
1	Market Fee Check post			
	(a) Foodgrain	496193	508191	324562
	(b) Milk/milk Product	34584	8763	23350
	(C) Wool	2912	Nil	300
	(d) meat & Animal husbandary product	200752	86074	81650
	(e) Others	118050	57821	17510
2	Market Yards			
	(a) Timher/Forest Product	3082489	1401804	1586653
	(b) Milk & milk Product	1555588	1393984	1360157
	(c) wool	Nil	Nil	Nil
	(d) Fruits	3327762	897124	1521555
	(e) Vegetable	6543313	286324	295622

7 विभिन्न यार्डों/चैक पोस्ट के प्रभारियों द्वारा यूजर चार्ज/मार्केट फीस की महावार आय विवरणियों में चैक संख्या बैंक का नाम नहीं दर्शानाः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी की विभिन्न उप मण्डियों/चैक पोस्ट के प्रभारियों द्वारा मुख्य मण्डी कांगणी को प्रेषित आय की माहवार विवरणी में चैक संख्या व बैंक का नाम नहीं दर्शाए गये है परिणामस्वरूप आय की प्रविष्टियों का बैंक से सही ढ़ंग से मिलान नहीं हो पाता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि विभिन्न यार्ड/चैक पोस्ट की माह वार विवरणियों में चैक व बैंक का नाम लिखा जाए ताकि बैंक खातों से मिलान आसान हो सके।

8 निर्माण कार्य से सम्बन्धित ₹116.22 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नही करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पास डिपोजिट वर्क के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹11622992 जमा करवाई गई थी जिससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

वा0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	राशि
18	9-4-13	Repair of Stair 1/F Shop No. 1 to 7	66199
18	9-4-13	Removal of slip	111220
18	9-4-13	C/O Collection centre Leda	17600
376	2-12-13	P/F interlock chain Fencing	199442
376	2-12-13	C/O wall from RD 0/092 to 0/137	904007
376	2-12-13	P/F Interlock chain Karsog	85368
499	5-3-14	P/F 2 No. In and out gate	45500
528	22-3-14	C/O ATM booth, strong Room Dhanotu	727252
20	10-4-14	E/I at SMY Karsog	133104
50	27-4-14	C/O collection centre at Jajahali	97132
125	4-7-14	C/O collection centre at Rohanda	289959
150	27-7-14	C.C. Flooring Side Drain Takol	30231
158	29-7-14	P/F gate for Bank, Painting of Jafri, Dhanotu	37372
173	8-8-14	C/O Stair infront of shop 23 & 27 Dhanotu	234300
173	8-8-14	C/O stair to plateform, protection to weig bridge at Kangani	662516
189	27-8-14	E/I in 20 shops Takoli	18340
189	27-8-14	Prov.C.C, Pavement, Drainage System raising of chamber at Kangani	4072048
319	18-11-14	Prov. Premix corpet yard Takoli	650064
			9149967
319	18-11-14	P/L Renewal coat of Premix Dhanotu	742295
355	19-12-14	C/O Action plateform chail chowk	403901
384	23-1-15	C/O Toilet at Dhanotu	40000
385	23-1-15	R/M subyard Dhanotu	228559
468	18-3-15	C/O Sockpit, Garbage collection Takoli	182671
468	18-3-15	C/O Collection centre at Harabag	106883
7	7-4-15	C/O 1 No. shop adjoining to existing shop at Dhanotu	99288
7	7-4-15	S/R of Path from BBMB reach to N.H. 21 at Dhanotu	29520
7	7-4-15	S/R of plateform stairs at Dhanotu	69602
135	2-7-15	Sh: site development of staff quarters at Kangani	472750
391	21-11-15	Prov. E.I. in bank strong Room, ATM at Dhanotu	60437
391	21-11-15	Repair & Maintence of Sanitary system at Takoli	37119
		Total	**₹11622992**

अतः निर्माण कार्य हेतु विपणन बोर्ड के पास जमा करवाई राशियों तथा पूर्व में जमा करवाई गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्राप्त करके अंकेक्षण मे प्रस्तुत किए जाएं।

9 अस्थाई अग्रिम ₹3.89 लाख समायोजन हेतु शेषः—

कृषि उपज विपणन समिति द्वारा समय—समय पर विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी, जिनमें से दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार ₹388500 का समायोजन नहीं किया गया। अतः इन अग्रिमों के समायोजन लेखें अंकेक्षण में जाँच हेतु शीघ्र प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0सं0	अग्रिम प्राप्तकर्ता	वा0सं0 / दिनांक	अग्रिम का उद्देश्य	राशि (₹)
1	श्री जिया लाल, लिपिक	126 / 9.9.2008	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
2	श्री चौहान सिंह चपडासी	201 / 10.12.2008	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
3	श्री राम लिपिक	259 / 11.2.2009	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
4	श्री राम लिपिक	41 / 25.4.2009	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
5	श्री राम लिपिक	47 / 25.6.2009	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
6	श्री हरमेश सिंह चालक	22 / 11.4.2012	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	20000
7	श्री गुरनाम सिंह	375 / 16.2.2013	किसानो के प्रशिक्षण हेतु	20000
8	श्री राजेश जाशी	349 / 22.11.2013	शासकीय डाक टिकटों की खरीद हेतु	2000
9	श्री गुरनाम सिंह	545 / 29.5.2014	गारवेज कन्टेनर खरीद हेतु	88000
10	श्री कुलदीप सिंह	23 / 16.4.2014	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	5000
11	श्री कुलदीप सिंह	359 / 20.12.2014	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	10000
12	श्री कुलदीप सिंह	406 / 7.2.2015	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	10000
13	श्री गुरनाम सिंह	455 / 16.3.2015	किसानों के प्रशिक्षण हेतु	20000
14	श्री हरमेश सिंह	498 / 25.3.2015	पैट्रोल व गाडी़ मुरम्मत	10000
15	श्री अशवनी कुमार	10 / 7.4.2015	पैट्रोल व गाडी़ मुरम्मत	10000
16	श्री हरि सिंह	120 / 23.6.15	स्टेशनरी मुद्रण	6500
17	श्री हरमेश सिंह	166 / 17.7.15	पैट्रोल व गाडी़ मुरम्मत	10000
				221500

18	श्री हरमेश सिंह	171 / 29.7.15	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	10000
19	श्री प्रेम	204 / 25.8.15	किसानों के प्रशिक्षण हेतु	30000
20	श्री हरमेश सिंह	234 / 10.9.15	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	5000
21	श्री हरमेश सिंह	258 / 22.9.15	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	5000
22	श्री केशव दत्त	277 / 30.9.15	शासकीय डाक टिकटों हेतु	2000
23	श्री हरमेश सिंह	354 / 4.11.15	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	5000
24	श्री हरमेश सिंह	389 / 21.11.15	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	5000
25	श्री हरमेश सिंह	413 / 7.12.15	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	5000
26	श्री हरमेश सिंह	440 / 17.12.15	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	5000
27	श्री हरमेश सिंह	491 / 8.1.16	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	5000
28	श्री हरि सिंह	541 / 10.2.16	किसानों के प्रशिक्षण हेतु	30000
29	श्री हरि सिंह	542 / 10.2.16	किसानों के प्रशिक्षण हेतु	30000
30	श्री हरि सिंह	548 / 15.2.16	किसानों के प्रशिक्षण हेतु	30000
			कुल योग	**388500**

10 दुकानों के लम्बित किराए के रूप में वसूली योग्य ₹13.10 लाख का शेष पाया जानाः—

मण्डी समिति के विभिन्न यार्डों के किराए के मांग एवं संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर विवरणानुसार दुकानदारों से किराए की ₹1309973 वसूली हेतु शेष थी इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु लम्बित रहना स्वतः ही चिन्ताजनक है जिस से निश्चित तौर पर मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति का तो प्रतिकूल असर पड़ा ही है तथा साथ में मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित रहने के कारण आवश्यक रूप से हानि उठानी पड रही है। अतः किराए की लम्बित राशियों को विहित अनुदेशों / शर्तों के अनुसार तुरन्त वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	**यार्ड का नाम**	**लम्बित राशि**
1	कांगणी यार्ड	453424
2	धनोटू यार्ड	288199
3	जोगिन्द्र नगर यार्ड	307000
4	टकोली यार्ड	245200
5	चैलचौक यार्ड	7350
6	पाली यार्ड	8800
	कुल योग	**₹1309973**

11 कांगणी यार्ड के दुकानदारों/व्यापारियों द्वारा मासिक किराये की राशि नियमित रूप से न देने का कारण ब्याज के रूप में ₹0.47 लाख की हानिः–

कृषि उपज मण्डी समिति के कांगणी यार्ड के वर्ष 2015–2016 के किराया रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि दुकानदारों द्वारा मासिक किराए की राशि नियमित रूप से देय तिथि/देय माह में न देकर आंशिक रूप से अदा की गई थी, जिससे न केवल प्राप्त राशि से अर्जित होने वाले ब्याज से वंचित होना पड़ा है। साथ–साथ लम्बे अन्तराल तक किराया न देने की प्रथा शुरू हो रही है। अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि कांगणी यार्ड के व्यापारियों से हर महीनें **परिशिष्ट (घ)** में दिए गए विवरणानुसार औसतन वसूली योग्य राशि शेष थी जिस पर सावधि जमा ब्याज की दर से एक वर्ष में लगभग ₹47723 की समिति को हानि हुई। अतः परामर्श दिया जाता है कि मासिक किराए की राशि को नियमित रूप से देय तिथि तक प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं ताकि किराये की वसूली योग्य राशि भी शेष न रहे और ब्याज के रूप में मिलने वाली आय से भी वंचित न होना पडे। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 लाईसैन्स धारकों द्वारा लाईसैन्स का नवीनीकरण न करवाने पर समिति द्वारा कोई कार्यवाही न करनाः–

कृषि उपज विपणन समिति के वर्ष 2015–2016 के लाईसैन्स से सम्बन्धिज अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान **परिशिष्ट (ङ)** में दिए गए विवरणानुसार व्यापारियों/दुकानदारों द्वारा लाईसैन्सों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था, जिस सम्बन्ध में समिति द्वारा नियमानुसार उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। नियमानुसार ऐसे लाईसैन्स धारकों द्वारा लाईसैन्स का नवीनीकरण न करवाए जाने के कारणों की छानबीन की जानी अपेक्षित थी कि क्या लाईसैन्सधारकों द्वारा कारोबार बन्द कर दिया है अथवा उनके द्वारा बिना लाईसैन्स के ही कारोबार जारी रखा गया है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित लाईसैन्सधारकों के विरूद्ध पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त लागू/नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 ₹11.78 लाख के सेवाकर की दुकानदारों से वसूली न करनाः—

कृषि उपज विपणन समिति द्वारा अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 तक दुकानों/गोदामों से प्राप्त किराए पर नियमानुसार देय सेवा कर की वूसली नहीं की गई थी, जबकि समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार सेवाकर का भुगतान समिति खाते से कर दिया गया। अतः सेवाकर की राशि को दुकानों/गोदामों के किरायेदारों से न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार देय सेवाकर की वसूली किरायेदारों से करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0	दिनांक	सेवाकर की अवधि	भुगतान की गई राशि
192	12.8.15	2015—16	703388
288	7.10.15	2015—16	5000
451	26.12.15	2015—16	469204
		कुल योग	**₹1177592**

14 मण्डी शुल्क/यूजर चार्ज की ₹0.16 लाख की कम वसूली करनाः—

मण्डी समिति मण्डी के कांगणी यार्ड/क्षेत्र के कारोबारियों/व्यापारियों के वर्ष 2015—16 के मण्डी शुल्क/यूजर चार्ज की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (च)** में दर्शाए गए कारोबारियों/फर्मों के "ओ" फार्म सम्बन्धित लेजर/रोकड़ बहियों में दर्ज नहीं पाए गए जिसे छानबीन करने उपरान्त हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण नियम 2006 के नियम 37 (8) के प्रावधान के अनुसार जुर्माना राशि सहित वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 मण्डी समिति के कांगणी स्थित विश्राम गृह की आय को बैंक में देरी से जमा करनाः—

कृषि उपज विपणन समिति के कांगणी स्थित विश्राम गृह की अवधि 20.5.16 की आंगतुक प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि विश्राम गृह में ठहराव करने वाले किसानों /कर्मचारियों से शुल्क की वसूली की रसीदों को प्रतिदिन काटकर ठहराव करने वाले आगंतुकों को नहीं दिया गया था तथा आंगतुकों से इकटठी की गई राशि की रसीदों को कुछ अन्तराल के बाद एक ही दिन काटा गया था ऐसे मामलों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट**

(छ) में दिया गया है जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रतिदिन आंगतुकों को प्रस्थान करते समय रसीद दी जाए व शुल्क की जमा राशि को बैंक में तुरन्त जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 यूजर चार्ज/मार्केट फीस की राशि को बैंक में देरी से जमा करनाः–

कृषि उपज मण्डी समिति के कांगणी यार्ड व चैक पोस्ट तत्तापानी के अवधि 2015–16 के यूजर चार्ज/मार्केट फीस की रसीदों का रोकड़ बही व बैंक से मिलान करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ज)** में दर्शाई गई अवधि के दौरान मार्केट फीस को बैंक में देरी से जमा करवाया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं है यूजर चार्ज/मार्केट फीस की विभिन्न व्यापारियों से वसूली करके तुरन्त बैंक में जमा न करवाने के कारण समिति को निवेश पर प्राप्त होने वाले ब्याज से भी वंचित होना पड रहा है साथ में हस्तगत राशि रखने से राशि के दुरूपयोग व चोरी की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में वसूली गई राशि को नियमानुसार प्रतिदिन या अगले दिन बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 गाड़ी संख्या एच0पी0 33 (सी) की लागबुक का रख रखाव सही ढंग से न करने बारेः–

कृषि उपज मण्डी समिति मण्डी की गाड़ी संख्या एच0पी0 33 (सी) 8882 की लागबुक अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 तक की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि गाड़ी की लागबुक का सही ढ़ंग से रख रखाव नहीं किया गया था। संलग्न **परिशिष्ट (ञ)** में दर्शाई गई तिथियों को वाहन के उपयोग का उद्देश्य, प्रस्थान व वापिस आने का समय/स्थान तथा यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया की डीजल भरवाने की प्रविष्टियों का यात्रा के सामने/पृष्ठ पर न करके अन्य पृष्ठ पर की गई थी तथा डीजल भरवाने के एवज में पैट्रोल पम्प की मोहर युक्त प्रविष्टि न करवाकर ड्राईवर द्वारा हस्तलिखित प्रविष्टियाँ की गई थी जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। उपरोक्त अनियमितताओं से स्पष्ट है कि गाड़ी के मामले मे ंसमिति द्वारा प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड द्वारा समय–2 पर जारी पत्र संख्या HMB/05(2)-13/96-2250-2255 दिनांक 7.3.2007 पत्र संख्या HMB/05(2)-13/96 III-1792-1801 दिनांक 28.5.15 पत्र संख्या HMB/05(2)-13/96-III 7431-40 दिनांक 7.11.2015 में

दी गई instruction for plying official vehicle से सम्बन्धित निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे नियमानुसार आपेक्षित कार्यवाही भी की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में लाग बुक के सभी स्तम्भों को भरे जाने के साथ–साथ वाहन का उपयोग समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

18 वाहन संख्या एच0पी0 33 सी–8882 की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 की औसतन न निकालने व वाहन में क्षमता से अधिक डीजल भरवाने बारेः–

कृषि उपज मण्डी समिति के वाहन संख्या एच0पी0– 33 सी–8882 की लागबुक की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 के दौरान वाहन की मासिक औसत नहीं निकाली गई थी जोकि नियमानुसार उचित नहीं है तथा Use and maintenance of Govt Vehicle में दिए गए निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त लाग बुक की जाँच करने पर यह भी पाया गया कि गाडी में टैंक की क्षमता से अधिक डीजल डाला गया था। गाडी की लागबुक में माह 12/2014 के दौरान निकाली गई मासिक औसत 10.42 प्रति लीटर को आधार मान कर अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 तक भरवाए गए डीजल की कि0मी0 के साथ गणना करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 तक लगभग ₹26232 का डीजल गाडी के टैंक की क्षमता 55 लीटर से अधिक भरा पाया गया जोकि तर्क संगत नहीं है अधिक भरवाए गए डीजल का विवरण **परिशिष्ट (ट)** में दिया गया है। अतः इस प्रकरण की समिति द्वारा जाँच पडताल कर ठोस तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व लागबुक में मासिक औसत लेंखा तैयार कर अधिक संदिग्ध डीजल दुरूपयोग की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

19 वाहन संख्या एच0पी0–33 (सी) 8882 द्वारा की गई यात्रा के प्रवास कार्यक्रम सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाने बारेः–

कृषि उपज मण्डी समिति मण्डी के वाहन संख्या एच0पी0–33 (सी) 8882 की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 की लागबुक की जाँच करने पर पाया गया कि समिति के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों की लगभग 5366 किलोमीटर यात्रा की गई थी जिनके यात्रा प्रवास कार्यक्रम सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाए गए थे। हिमाचल प्रदेश कृषि व औधानिकीय उपज विपणन (वित्तीय नियम 2006 के नियम 4 (3) के अनुसार अधिकारियों के प्रवास कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड से अनुमोदित होने आपेक्षित थे।

ऐसे सभी मामलों को विवरण **परिशिष्ट (ठ)** में दिया गया है। अतः उक्त प्रवास से सम्बन्धित कार्यक्रम को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके यात्रा को नियमित करवाया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 चैल चौक यार्ड/क्षेत्र की विभिन्न फर्मों द्वारा User Charges/ मार्केट फीस देना बन्द करनाः–

कृषि उपज मण्डी समिति के चैलचौक यार्ड के व्यापारियों के अवधि 2015–16 के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि चैलचौक यार्ड क्षेत्र की फर्मों द्वारा फीस देना **परिशिष्ट (ढ)** में दर्शाई गई तिथियों से बन्द कर दी गई थी। अतः उक्त फर्मों के बारे में छानबीन की जाए कि क्या वास्तव में इन फमों द्वारा कारोबार बन्द कर दिया है या बिना लाईसैन्स के ही करोबार जारी रखा गया है अन्यथा लागू नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत आपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 प्रतिभूति राशि के लिए अलग से लेखा/रजिस्टर तथा बैंक खाते का रख रखाव न करनाः–

कृषि उपज मण्डी समिति मण्डी के अभिलेख कि अवलोकन पर पाया गया कि किराए पर दी गई दुकानों से सम्बन्धित विभिन्न दुकानदारों से प्रतिभूति के तौर पर दिनांक 31.3.2016 तक ₹2742274 समिति निधि में जमा हुई थी जिसका अलग से लेखा/रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज (वित्तीय) नियमावली 207 के नियम 11 के अनुसार प्राप्त प्रतिभूति की राशि को समिति निधि में न जमा करवाकर इसका अलग से लेखा/रजिस्टर का रख रखाव व बैंक खाता रखना आपेक्षित था। प्रतिभूति लेखों का अलग से रख रखाव रखने बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी मामला उठाया गया था लेकिन समिति द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि प्रतिभूतियों की राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की वापसी योग्य प्रतिभूति राशियों का रख रखाव नियमानुसार किया जाए तथा इस का विस्तृत लेखा जोखा प्रतिभूति रजिस्टर में करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 लाईसैन्स धारी व्यापारियों द्वारा फार्म (ओ) के साथ फार्म (आर) व फार्म (क्यू) को प्रस्तुत न करनाः–

विपणन विधेयक अधिनियम 2005 व नियम 2006 की धारा 30 (17) की अनुपालना में सभी कमीशन अभिकर्ता द्वारा रिटर्न से सम्बन्धित फार्म (ओ) के साथ फार्म (आर व फार्म (क्यू) जमा करवाने अनिवार्य होते है। मण्डी समिति के व्यापारियों द्वारा फार्म (ओ) के साथ फार्म (आर) व फार्म (क्यू) पूर्णतया संलग्न नहीं किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त उक्त सभी फार्म में किए गए व्यापार की मात्रा बिल संख्या सही ढ़ंग से नहीं लिखे जाते है। उक्त प्रकरण गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाया गया था। अतः समिति द्वारा फार्म (आर) व फार्म (क्यू) को भरा जाना सुनिश्चित करवाया जाए ताकि व्यापारियों द्वारा क्रय विक्रय की मात्रा व राशि इत्यादि का सत्यापन सम्भव हो सके।

23 लम्बित अंकेक्षण अधियाचनाऐंः–

वर्ष 2015–2016 के दौरान अंकेक्षण द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय को जारी की गई अंकेक्षण अधियाचनाओं में से निम्नलिखित अधियाचनाएं निपटारे हेतु शेष हैः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1154 दिनांक 25.6.15
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1158 दिनांक 2.7.15
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1202 दिनांक 16.9.15
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1243 दिनांक 21.11.15
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1271 दिनांक 15.12.15
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1344 दिनांक 30.3.16
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1351 दिनांक 31.3.16
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1352 दिनांक 31.3.16
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1354 दिनांक 31.3.16

अतः उपरोक्त सभी वर्णित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा सुनिश्चित करने के साथ साथ गत वर्षों की सभी लम्बित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा भी सुनिश्चित किया जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 **कृषि उपज मण्डी समिति मण्डी द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए**

1 मण्डी समिति के विभिन्न यार्डों में वर्ष 2015–16 के दड्ढौरान आबंटित दुकानों का अभिलेख

2 उप मण्डी धनोटू, उप मण्डी टकोली के व्यापारियों के "ओ" फार्म व किराया सम्बन्धी अभिलेख अवधि (2015–16)

3 चल एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर

4 पुंध नाका चौकी का आयात व निर्यात रजिस्टर (2015–16)

5 विभिन्न याडों को "ओ" "क्यू" "आर" फार्म व रसीदें जारी करने का अभिलेख

6 डायरी व डिस्पैच रजिस्टर (2015–16)

25 **प्रत्यक्ष सत्यापन बारेः–**

कृषि उपज मण्डी समिति के भण्डार रजिस्टरों में चल–अचल सम्पत्ति/वस्तुओं के दर्शाए गए शेषों का गत वर्षों से प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 **पूर्वाकेंक्षण में प्रस्तुत बिलों में की गई ₹0.13 लाख की कटौती बारेः–**

मण्डी समिति मण्डी द्वारा अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 के दौरान अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत बिलों से पूर्वाकेंक्षण के दौरान ₹13250 की कटौतियाँ की गई है उपरोक्त दर्शाई गई कटौतियों के अतिरिक्त विभिन्न बिलों को पारित करने से पूर्व व उनमें पाई गई अनियमितताओं बारे सचिव महोदय को अवगत करवाकर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही बिलों को अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत करने को कहा गया जिससे समिति के लाखों रूपये के अपव्यय को रोककर मण्डी समिति को होने वाली वित्तीय हानि को रोका गया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा वित्तीय मामलों में भी समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों को सयम–2 पर दिशा निर्देश/मार्ग दर्शन दिया गया है।

27 **उप सब्जी मण्डी करसोग में व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू नहीं करनाः–**

कृषि उपज मण्डी समिति के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.3.12 से 10.4.14 तक उप सब्जी मण्डी करसोग का निर्माण कार्य करवाने हेतु लगभग ₹8700132 खर्च किया जा चुका था तथा उप सब्जी मण्डी का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका

है। जाँच में यह भी पाया गया कि उक्त उप सब्जी मण्डी की दुकानों का आबंटन अभी तक नहीं किया गया है। अतः उप सब्जी मण्डी करसोग में निर्मित दुकानों का आबंटन न करने व व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू न करने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उप सब्जी मण्डी करसोग को अतिशीघ्र शुरू किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

28 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

29 निष्कर्षः– लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2) सी (15)(14)124/88 खण्ड–7–793–796

दिनांक,01–02–2018 शिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृतः 1 सचिव, कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 प्रबन्ध निदेशक, विपणन बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, शिमला–171002

3 विशेष सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002

4 अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना कृषि उपज मण्डी समिति कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

परिशिष्ट "क"

(पैरा 1 (घ) के सन्दर्भ में)

कृषि उपज विपणन समिति, मण्डी (स्थित कांगणी) के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पैरों/आपत्तियों के अनुसार मण्डी शुल्क के रूप में वसूलियाँ न करना, बिना लाईसैन्सधारकों से कम्पाऊंड शुल्क की वसूली न करना, दुकानों के किरायों की बकाया राशि की वसूली न करना व अन्य अनेक आपत्तियाँ उज़ागर की गई है। इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शामिल गम्भीर अनियमितताओं तथा वसूलियों के प्रकरणों में तुरन्त उचित कार्रवाई किए जाने की नितान्त आवश्यकता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वित्तीय अनियमितताओं एवं वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के अतिरिक्त अन्य पैरों के निपटारे हेतु प्रभावी ढ़ंग से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1999

1	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–13	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा-6	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–12	अनिर्णीत
3	पैरा–16	अनिर्णीत
4	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–19 (11) (15) (16) (18)	अनिर्णीत

6	पैरा—22	अनिर्णीत
7	पैरा—23 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा—24 (3)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा—4	अनिर्णीत
2	पैरा—7 (क) (2, 3, 4)	अनिर्णीत
3	पैरा—9	अनिर्णीत
4	पैरा—15	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा—10 (3, 4)	अनिर्णीत
2	पैरा—11	अनिर्णीत
3	पैरा—15	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा—7	अनिर्णीत
2	पैरा—11	अनिर्णीत
3	पैरा—12	अनिर्णीत
4	पैरा—13	अनिर्णीत
5	पैरा—14	अनिर्णीत
6	पैरा—15	अनिर्णीत
7	पैरा—16	अनिर्णीत
8	पैरा—18 (i)(ii)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा—7	अनिर्णीत
2	पैरा—8	अनिर्णीत
3	पैरा—11	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—8	अनिर्णीत
3	पैरा—10	अनिर्णीत
4	पैरा—14	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा—5 (ii)(iii)	अनिर्णीत
2	पैरा—7	अनिर्णीत
3	पैरा—8	अनिर्णीत
4	पैरा—9 (i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
5	पैरा—10	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा—7	अनिर्णीत
2	पैरा—8	अनिर्णीत
3	पैरा—9 (क, ख)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा—8	अनिर्णीत
2	पैरा—9	अनिर्णीत
3	पैरा—11	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा—5	अनिर्णीत
2	पैरा—6	अनिर्णीत
3	पैरा—9	अनिर्णीत
4	पैरा—10	अनिर्णीत
5	पैरा—11	अनिर्णीत

6	पैरा–12	अनिर्णीत	
7	पैरा–13	अनिर्णीत	
8	पैरा–14	अनिर्णीत	
9	पैरा–15	अनिर्णीत	
10	पैरा–16	अनिर्णीत	
11	पैरा–17	अनिर्णीत	
12	पैरा–18	अनिर्णीत	
13	पैरा–19	अनिर्णीत	
14	पैरा–20	अनिर्णीत	
15	पैरा–21	अनिर्णीत	
16	पैरा–22	अनिर्णीत	

(ढ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क)
2	पैरा–4 (क) से (ङ)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–4 (च) (छ)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5	अनिर्णीत	
5	पैरा–6	अनिर्णीत	
6	पैरा–7	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
7	पैरा–8	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
8	पैरा–9	अनिर्णीत	
9	पैरा–10	अनिर्णीत	
10	पैरा–11	अनिर्णीत	
11	पैरा–12	अनिर्णीत	
12	पैरा–13	अनिर्णीत	
13	पैरा–14	अनिर्णीत	
14	पैरा–15	अनिर्णीत	
15	पैरा–16	अनिर्णीत	

16	पैरा—17	अनिर्णीत
17	पैरा—18	अनिर्णीत
18	पैरा—19	अनिर्णीत
19	पैरा—20	अनिर्णीत
20	पैरा—21	अनिर्णीत
21	पैरा—22	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	82
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	24
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	4
अन्तशेष (दिनाँक 31.3.16 तक)	102